संख्या 4305/ II–2007–03(07)/07

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली/रूद्रप्रयाग/
बागेश्वर/पिथौरागढ़ ।

सिंचाई विभाग देहरादून : दिनांक 28 दिसम्बर 2007

विषयः वित्तीय वर्ष 07–08 के लिए जिला योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण मद में आंवटित धनराशि से लघुडाल नहर निर्माण मद में धनराशि का व्यावर्तन ।

महोदय,

आपके पत्र संख्या 4833/मु0अ0वि0/बजट/बी–1 दिनांक 3.11.07 के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या 3300/II–2007–03(05)/07 दि0 7.9.07 में जिला अनुश्रवण समितियों से लघुडाल नहर निर्माण हेतु संस्तुत रू0 86.00 लाख की धनराशि नहर निर्माण मद में अवमुक्त की गयी है । इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नहर निर्माण मद में अवमुक्त धनराशि में से जनपद चमोली के लिए रू0 25.00 लाख, जनपद रूद्रप्रयाग के लिए रू0 10.00 लाख, जनपद बागेश्वर के लिए रू0 34.00 लाख एवं जनपद पिथौरागढ़ के लिए रू0 17.00 लाख कुल रू0 86.00 लाख (रूपये छयासी लाख मात्र) की धनराशि संलग्न बी0एम0–15 पर अंकित विवरणानुसार नहर निर्माण मद से लघुडाल नहर निर्माण मद में व्यावर्तित करने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

1– सम्बन्धित धनराशि का व्यय स्वीकृत कार्यों के विरूद्ध ही किया जाय, व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।जिला योजना से सम्बन्धित कार्यों पर व्यय जिला अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृत परिव्यय एवं इसके अन्तर्गत अनुमोदित योजनाओं के अनुसार ही किया जाय।

2– धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

3– उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, टैण्डर, कुटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

4– स्वीकृत धनराशि का खण्डवार विभाजन/फॉट सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा, जिसका विवरण शासन को भी उपलब्ध कराया जायेगा। जिला योजना की फॉट जिला अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृत परिव्यय के आधार पर की जाय।

5– जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीक का प्रयोग किया जाय।

.....2

6— मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

7— कार्य की समयबद्धता एवं गुणवता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8— विभागीय कार्य करने से पूर्व सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

9— त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का मार्च 2008 के अन्त तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

10— धनराशि का आहरण डी0सी0एल0 हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।

11— इस शासनदेश के द्वारा कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की जा रही है अपितु पूर्व में अवमुक्त धनराशि का व्यावर्तन किया जा रहा है ।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–20 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित उपलेखाशीर्षकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 723/XXVII (2)/2006 दिनांक 24.12.07 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

संख्या 4305/ I I–2007–03(07)/07,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ।
3. वित्त अनुभाग–2 ।
4. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
5. श्री एम0एल0 पन्त, अपर सचिव, वित्त, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. कोषाधिकारी, चमोली/रूद्रप्रयाग/बागेश्वर/पिथौरागढ़ ।
9. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

सलग्नक–1

प्रपत्र–बी0एम–15

नियन्त्रण अधिकारी मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
प्रशासनिक विभाग: सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड शासन।
वित्तीय वर्ष 2007–08 अनुदान संख्या–20

(धनराशि हजार रूपये में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि (स्तम्भ–1 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 06–निर्माणाधीन सिंचाई/अन्य सिंचाई योजनायें (जिला योजना) 800–अन्य व्यय 02–अन्य रख–रखाव 91–निर्माणाधीन सिंचाई नहरें 24–बृहत् निर्माण कार्य 235540	66241	160699	8600(क)	4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 07–उत्तरांचल की लघु डाल नहरों का पुनरोद्धार 800–अन्य व्यय 02–अन्य रख–रखाव व्यय 0291–निर्माणाधीन सिंचाई नहरें (जिला योजना) 24–वृहद् निर्माण कार्य 8600 (ख)	19102	226940	(क) रू0 86.00 लाख का बजट जिला अनुश्रवण समितियों के द्वारा लघुडाल नहर निर्माण के लिए संस्तुत किया गया है जो नहर निर्माण मद में अवमुक्त गया था । (ख) जिला अनुश्रवण समितियों की संस्तुतियों के आधार पर लघुडाल नहर निर्माण हेतु आवश्यकता है ।
योग 235540	66241	160699	8600	8600	19102	226940	

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर 150–156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं योजनाओं का उल्लंघन नही होता है।

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–2
सं0–723/(क)/XXVII(2)/2007
देहरादून: दिनांक 24 दिसम्बर 2007

पुनर्विनियोग स्वीकृत
(डा0 एम0सी0जोशी)
अपर सचिव

महालेखाकार उत्तराखण्ड
देहरादून।

सं0 4305 /II–2007–03(07)/2007 दिनांक 28-12-07

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित है :–

1. वित्त अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी चमोली, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ ।
3. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव